>

Title : Discussion on the Salary, Allowances and Pensions of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2003. (Bill passed).

MR. SPEAKER: I have to make a small observation.

Hon. Members, before I call Shrimati Sushma Swaraj, Minister of Parliamentary Affairs to move the motion for consideration of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2003, I have to inform the House that I have received a letter dated 19th December, 2003, from Shrimati Sushma Swaraj intimating that the President, having been informed of the subject matter of the Bill, has recommended its consideration under clause (3) of article 117 of the Constitution.

श्रीमती सुमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :-

> "कि संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

सबसे पहले माननीय सोमनाथ चटर्जी ने जो बात रखी है, उस पर मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगी। उनका बहुत अच्छा सुझाव है कि अगर कोई ऐसा दूसरा रास्ता निकल सके, जहां बार-बार संसद में आकर इस पर चर्चा करने की बजाय अगर किसी दूसरे रास्ते से इसे किया जा सके, जैसे कोई इंडैक्स बना दिया जाए या सैक्रेटरीज के बराबर इसे कर दिया जाए, जिससे कि हमें बार-बार संसद में आकर आलोचना का बायस न बनना पड़े। यह एक अच्छा सुझाव है। लेकिन जब तक वह नहीं होता है, तब तक यही एक रास्ता है। इसीलिए इस विधेयक को मुझे यहां लाना पड़ा।

अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि एक संयुक्त संसदीय समिति बनी हुई है जो संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के विाय चर्चा करती है और अनुशंसा करती है। ये सारे प्रस्ताव जो आज हम यहां लाये हैं, ये उस समिति की अनुशंसा पर लाये हैं, उन प्रस्तावों को मैं एक-एक करके संक्षेप में बताना चाहूंगी। पहला प्रस्ताव यह है कि जो पूर्व सांसद है, उन सबके लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया जाए। अभी जो मौजूदा प्रावधान है, वह यह है कि चार र्वा तक या दो टर्म तक अगर संसद सदस्य जीता हुआ है तो उसे पेंशन मिलती है। करीब 764 लोक सभा के सांसद और 200 से ज्यादा राज्य सभा के सांसद ऐसे हैं, जिन्हें अभी न्यूनतम पेंशन भी नहीं मिलती है। न्यूनतम पेंशन केवल तीन हजार रुपये प्रति माह है। उनकी बहुत अरसे से यह मांग चली आ रही थी कि जब वे चुनाव जीत कर आते हैं, लोक सभा जब डिसॉल्व होती है, उसमें उनका कोई दोा नहीं होता।

13.00 hrs.

इसलिए अवधि देखे बिना उनको कम से कम न्यूनतम पेंशन हर संसद सदस्य को मिलनी चाहिए। पहली अनुशंसा यह है कि अवधि देखे बिना न्यूनतम पेंशन हर सांसद को मिलनी चाहिए।

दूसरा प्रावधान यह है कि जो एक र्वा बढ़ने पर 600 रुपये बढ़ते हैं, तो नौ महीने अगर हो जाएं तो 9 महीने की अवधि को राउंड ऑफ करके एक र्वा माना जाएगा, यह दूसरा प्रावधान है।

तीसरा प्रावधान इस बिल में यह है कि अगर किसी वर्तमान संसद सदस्य का दुखद निधन हो जाता है तो फैमिली पेंशन का प्रावधान है कि उनकी पत्नी या परिवार को पांच र्वा तक 1000 रुपये मिलते हैं, उसको बढ़ाकर 1500 रुपये किया जा रहा है।

चौथा प्रावधान यह है कि हमें अभी तक केवल इंडियन एयरलाइन्स से हवाई यात्रा करने की अनुमति थी लेकिन अब निजी एयरलाइन्स भी आ गई हैं। पहले यह था कि कोई निजी एयरलाइन्स समय के हिसाब से ज्यादा सुविधाजनक होती थी लेकिन उसमें यात्रा की अनुमति नहीं थी। अब इंडियन एयरलाइन्स के साथ-साथ निजी एयरलाइन्स से भी यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। एक और प्रावधान यह है कि हमें एक साल में 32 हवाई यात्रा मिलती हैं जिनमें हमारे साथ पत्नी, पति या सह यात्री सफर कर सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि सांसद बीमार हो गए और पत्नी को देखभाल के लिए आना है तो वह अकेले नहीं आ सकती, या सांसद को यहीं से कहीं जाना है और पत्नी या सहयात्री ने उसे यहां से जॉइन करना है तो वे जॉइन नहीं कर सकते। अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि 32 में से आठ तक अकेले यात्रा करके बाकी यात्राओं में पत्नी, पति या सहयात्री जॉइन कर सकता है।

एक मांग थी नॉर्थ ईस्ट के लिए कि उनको स्टेशन तक के लिए रोड माइलेज मिलता है लेकिन एयरपोर्ट जाने के लिए नहीं मिलता। कहीं-कहीं एयरपोर्ट्स बहुत दूर हैं। इसी प्रकार दिल्ली के आसपास के जो सदस्य हैं, वे ट्रेन से ही आ सकते हैं, सड़क से नहीं आ सकते थे। अब दिल्ली के आस-पास के लोगों को सड़क से आने और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एयरपोर्ट तक जाने के लिए सड़क का भत्ता मिल सकता है, यह प्रावधान किया गया है।

टेलीफोन के उपयोग में विशेा छूट की बात थी। डेढ़ लख काल्स कितने भी टेलीफोन पर आ जाएं, किराया सरकार केवल तीन का दे, यह एक मांग थी। एक मांग थी कि डेढ़ लाख काल एक साल में पूरी नहीं होतीं तो अगले साल कैरीओवर हो जाएं। इस मांग को भी टेलीफोन विभाग ने मान लिया है।

एक रेल से संबंधित मांग थी। रेल मंत्री जी उठकर चले गए। जो एक्स एम.पी. थे, उनको अभी ए.सी.2 टियर में कंपेनियन के साथ अलाउ किया जाता था। वे कहते थे कि अगर अकेले चलना चाहें तो ए.सी.1 में उनको अनुमति होनी चाहिए। वह भी रेल मंत्रालय ने मान लिया है।

ये सारे प्रावधान संसदीय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर हैं जो मैं इस बिल में प्रस्तावित कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि इस पर ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सदन इसे सर्वसम्मति से पारित करे यह मेरा सदन के सदस्यों से निवेदन होगा।

MR. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clauses 2 to 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 9 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill be passed.

श्रीमती सुमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ

" कि विधेयक पारित किया जाए। "

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

_____